

गोवर्धनपुरा, तहसील-निवाई, जिला-टोंक (राजस्थान)
मई 29 से जून 2 की अवधि में सम्पन्न
क्रियात्मक शिक्षण केस अध्ययन का
प्रतिवेदन

प्रारूप प्रतिवेदन
7 जुलाई, 2010

कान्टेक्ट इन्टरनेशनल कॉआपरेशन एवं सिकोर्डिकोन

अर्न्तवस्तु सारिणी

अध्याय – I – प्रस्तावना

1. प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि
2. विधि (पद्धति)
3. प्रक्रिया

अध्याय – II – संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

1. गोवर्धनपुरा
2. निवाई में मीणा समुदाय

अध्याय – III – गोवर्धनपुरा की कहानी

1. परिचय/प्रस्तावना
2. गोवर्धनपुरा की कहानी
3. विश्लेषण
4. प्रमुख सीख

अध्याय – IV – नागरिक प्रवृर्तित परिवर्तन के दृष्टिकोण से प्राप्त सीख के निष्कर्ष

अनुलग्न-I – क्रियात्मक शिक्षण केस अध्ययन, गोवर्धनपुरा (राज0) का दैनिक कार्यक्रम

अनुलग्न-II – उत्तरदाताओं की सूची

अनुलग्न-III – त्रिकोणात्मक अध्ययन हेतु सम्पर्क किये गये पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) की सूची

अनुलग्न-IV – कहानी कथन कार्यशाला का प्रवाह/प्रगति

अध्याय – I – प्रस्तावना

1. प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन (सीडीसी) के संदर्भ में किये गये क्रियात्मक शिक्षण केस अध्ययन (ए.एल.सी.एस) की उन प्रक्रियाओं और अर्न्तवस्तुओं का दस्तावेजीकरण है जो कि मई 29 से जून 2, 2010 की अवधि में ग्राम गोवर्धनपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) में कान्टेक्स्ट इन्टरनेशनल कोआपरेशन द्वारा सिकोईडिकोन और ग्राम विकास समिति के सहयोग से सम्पन्न की गई। यह क्रियात्मक शिक्षण केस अध्ययन जयपुर में 25 मई से 27 मई, 2010 की अवधि में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के संदर्भ में नागरिक चालित परिवर्तन के बारे में आयोजित कार्यशाला की श्रंखला में एक कड़ी था। कुछ सदस्य जो कि क्रियात्मक शिक्षण केस अध्ययन से जुड़े थे वे भी नागरिक चालित परिवर्तन के सम्बन्ध में आयोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में सहयोगी थे। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन के वैचारिक अथवा सैद्धान्तिक पहलुओं पर अधिकांशरूप से ध्यान केन्द्रित किया गया जबकि वर्तमान केस अध्ययन को नागरिक चालित परिवर्तन पर सहयोगात्मक –क्रियात्मक शोध कार्य सम्पन्न करने हेतु एक पद्धति के रूप में प्रयोग किया गया।

नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन पर ध्यान केन्द्रित करने का विचार इस उद्देश्य से अभिप्रेरित है कि समाज में परिवर्तन वाहक के रूप में नागरिकगण और नागरिक प्रयास विकास के मार्ग की पुर्नरचना कर सकते हैं, प्रयासों को पुर्ननिर्देशित कर सकते हैं और प्रभावशीलता में अभिवृद्धि कर सकते हैं।¹ समाज में परिवर्तन के मुख्य चालकों के रूप में राज्यों और बाजारों पर लम्बे समय से कुछ अधिक ही जोर दिया जाता रहा है जिससे विकास सम्बन्धी नीतियाँ और गैर सरकारी विकास संगठनों की कार्य दिशा कई दशकों से प्रभावित होती रही है। यह उन महत्वपूर्ण योगदानों की अनदेखी करना है जो कि नागरिकों द्वारा समस्त विश्व में किये गये हैं और विश्व इतिहास की रचना और हमारी मानव जाति की खुशहाली के लिये अनवरत रूप से किये जा रहे हैं। नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन यह सुझाते हैं कि ध्यान लोगों पर केन्द्रित किया जाना चाहिये न कि राज्यों अथवा बाजारों पर। अतः 'नागरिकता' और 'नागरिक पहल/ क्रिया' सामाजिक बदलाव के लक्ष्य की प्राप्ति में नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन की प्रक्रिया के अन्तर्गत एक ऐसा मार्ग अपनाया जाता है जिसमें नागरिकगण लोकतांत्रिक समाज के सह-सर्जक के रूप में अपनी जीवन धारा को स्वयं ही नियंत्रित करते हैं। इस संदर्भ में शक्ति सम्बन्धों में परिवर्तन लाना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।²

¹ फाउलर, 2007

² नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन के विस्तृत अध्ययन हेतु कृपया देखें फाउलर, एलन, सिविक ड्रिवन चेन्ज एण्ड इन्टरनेशनल डवलपमेंट : एक्सप्लोरिंग ए काम्प्लेक्सिटी परस्पेक्टिव, कन्टेक्सुअल नं.7, नवम्बर 2007, कान्टेक्स्ट इन्टरनेशनल कोआपरेशन यूट्रेस्ट और ब्रोकर अंक 10, अक्टूबर 2008 में फ्रान्स बीकमैन का लेख।

इस शोध कार्यक्रम का उद्देश्य है – भावी व्यवहार (आचरण) और नीति में सुधार लाने की दृष्टि से विकास व्यवहार (अथवा प्रक्रियाओं) से सीख लेना। नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन विषय पर किये जा रहे शोध कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न प्रश्नों के उत्तर खोजना है –

- समाज में बदलाव कैसे आता है?
- ऐसे परिवर्तनों में लोग क्या भूमिका निभाते हैं?
- परिवर्तन कौन लाता है, परिवर्तन कैसे आता है? (लाने वाले, वाहक, अभिप्रेरक)
- परिवर्तन को कौन रोकता है, कौन रुकावट डालता है? (बन्धन, बाधाएं)

क्रियात्मक शिक्षण केस अध्ययन के क्रियान्वयन अथवा संचालन को इस शोध कार्य में मुख्य विधि के रूप में प्रयोग किया गया है। एक क्रियात्मक शिक्षण केस अध्ययन (एएलसीएस) में एक कहानी कथन कार्यशाला और बहुत त्रिकोणात्मक रूपी पद्धति सम्मिलित है यथा— कार्यकर्ताओं एवं संगठन के अन्य पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ वार्तालाप जो कि कहानी प्रस्तुत करते हैं, क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य संगठन और दस्तावेजों तथा सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन।

प्रस्तुत केस अध्ययन गोवर्धनपुरा गाँव में ग्राम विकास समिति के साथ मिलकर किया गया जो कि सिकोईडिकोन का सहभागी संगठन है। सिकोईडिकोन इस गाँव में पीआईआईआरडी (समन्वित ग्रामीण विकास के लिये सहभागितापूर्ण पहल) कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2000 से कार्य कर रही है। गोवर्धनपुरा सिकोईडिकोन के निवाई स्थित शाखा कार्यालय के अन्तर्गत आता है और यह इस प्रखण्ड के 100 गाँवों में कार्य कर रहा है। प्रवृत्तियों के संचालन (अथवा क्रियान्वयन) को आसान बनाने की दृष्टि से इन 100 गाँवों को चार समूहों में भौगोलिक रूप से बाँटा गया है।

2. विधि (पद्धति)

क्रियात्मक शिक्षण केस अध्ययन अन्वेषणात्मक शोध का रूप ग्रहण करता है। यह शोध विधि जो कि अज्ञात को खोजने से दूर जाकर अनेक शोध प्रवृत्तियों का ठोस आधार बन गई है, विगत वर्षों में कान्टेक्ट इन्टरनेशनल को—आपरेशन के द्वारा संचालित—सम्पादित की गई है। क्रियात्मक शिक्षण केस अध्ययन, कहानी कहने, अवधारणा मैपिंग तथा त्रिकोणात्मकता के माध्यम से संचालित किया गया है।³ यह क्रियात्मक शिक्षण केस अध्ययन एक कहानी के इर्द गिर्द घूमता है और इस कहानी पर ही इसका निर्माण किया गया

³ एएलसीएस की विधि के बारे में विस्तार से जानने के लिये कृपया देखें एक्शन रिसर्च सिविक ड्रिवन चेन्ज एण्ड सिविक ड्रिवन चाइल्ड डवलपमेन्ट रिसर्च डिजाइन, एक्शन लर्निंग केस स्टेडीज, मई 2008, सेन्टर फोर डवलपमेंटल प्रैक्टिस एण्ड थ्योरी विद रिगार्ड टू सिविक ड्रिवन चेन्ज, कान्टेक्ट इन्टरनेशनल कोआपरेशन, यूट्रेक्ट

है। अतएव क्रियात्मक शिक्षण केस अध्ययन की केन्द्रीय विधि एक कहानी कहने का अभ्यास है। इसके अन्तर्गत किसी एक समुदाय, समूह अथवा कुछ व्यक्तियों को परिवर्तन की प्रक्रिया में जिसके कि वे अंग हैं उनके अनुभवों के बारे में अपनी कहानी कहने के लिये आमंत्रित किया जाता है।

कहानी कथन कार्यशाला के अतिरिक्त क्रियात्मक शिक्षण केस अध्ययन में अनेक प्रकार के आंकड़ों की त्रिकोणात्मकता शामिल है जैसे कि कार्यकर्ताओं एवं अन्य पणधारियों के साथ वार्तालाप यथा समुदाय सदस्य, लाभार्थीगण, सरकारी अधिकारी, क्षेत्र के अन्य संगठन और कहानी से सम्बन्धित दस्तावेजों तथा साहित्य का अध्ययन।

3. प्रक्रिया

सिकोईडिकोन के साथ ए.एल.सी.एस. 29 मई से 2 जून 2010 की अवधि में सम्पन्न किया गया।⁴ इस प्रक्रिया को एक टीम के द्वारा आगे बढ़ाया गया। इसमें जो लोग सम्मिलित थे वे हैं – सिकोईडिकोन के कार्यकर्ता (सुश्री नीरजा निगम, उप निदेशक सिस्टम्स, एस डब्ल्यू ए आर ए जे, डा0 वीणा विद्याधरन, इकाई प्रमुख, पीएमई, श्री अनिल भारद्वाज, इकाई प्रमुख, सीडीपी, स्वराज, श्री गिरवर सिंह, शाखा प्रभारी, निवाई, श्री किशन लाल जाट, समन्वयक, माधोराजपुरा शाखा कार्यालय एवं डा0 गौरव शुक्ला, परामर्शदाता, सिकोईडिकोन, सीएसओ प्रतिनिधि (श्री एम.एल. यादव, विकास अनुसंधान एवं शैक्षणिक प्रगति संस्था, इंदौर) तथा कन्टेक्ट इन्टरनेशनल कोआपरेशन (श्री उडान फर्नान्डो)। श्री पी.एम. पॉल (निदेशक, सिकोईडिकोन) तथा श्री जमनजी मीणा (उपाध्यक्ष, ग्राम विकास समिति, गोवर्धनपुरा) ने क्रियात्मक शिक्षण केस अध्ययन के आमुखीकरण सत्र में भाग लिया।

प्रथम दिन, सभी टीम सदस्य क्रियात्मक शिक्षण केस अध्ययन के लिये विषयसूची तैयार करने हेतु आयोजित की गई बैठक में आमुखीकरण एवं तैयारी के लिये एकत्रित हुए। पूरे सप्ताह के लिये गतिविधियों की योजना बनाने हेतु प्रवर्तक टीम ने ग्राम गोवर्धनपुरा के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस पूरी अवधि में प्रक्रिया का अनुरक्षण (मानीटरिंग) करने और तदनुसार योजना बनाने हेतु प्रवर्तक दल के साथ नियमित रूप से आंकलन बैठकें होती रही।

दूसरे दिन, नम्रतापूर्ण सम्पर्क निर्माण अभ्यास हेतु प्रवर्तक दल के तीन सदस्यों ने गाँव का दौरा किया। गाँव के भिन्न भिन्न स्थलों पर कुछ अनौपचारिक वार्तालाप सम्पन्न किये गये। इस प्रवास के दौरान कहानी कथन कार्यशाला के लिये आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं जिनमें कार्यशाला हेतु एक उपयुक्त स्थल का चुनाव करना भी सम्मिलित था।

⁴ एएलसीएस अध्ययन के कार्यक्रम (समय सारणी) के सम्बन्ध में अनुलग्नक 1 में संदर्भ प्रस्तुत किया गया है।

कहानी कथन कार्यशाला 31 मई, 2010 को आयोजित की गई जिसमें ग्राम विकास समिति, महिला समिति (महिलाओं का संगठन) और बाल पंचायत के सदस्यों के 52 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।⁵ कार्यशाला स्थानीय बोली में संचालित सम्पादित की गई जो कि धूंधाड़ी और राजस्थानी (खड़ी बोली) का मिश्रित रूप है। कार्यशाला की समाप्ति पर ग्राम सदस्यों ने प्रवर्तक दल को अनौपचारिक वार्तालाप के लिये एकत्रित होने का निमंत्रण दिया। यह एकत्रीकरण और अनौपचारिक विचार विनिमय एक ऐसा अभ्यास साबित हुआ जिसके माध्यम से कहानी कथन कार्यशाला में उभरकर सामने आये अनेक मुद्दों पर गहरी समझ बन सकी।

चौथे दिन का उपयोग त्रिकोणात्मक अभ्यासों के लिये किया गया। विषय केन्द्रित समूह चर्चाएं तीन स्थानों पर संचालित की गई : करेडा में स्कूल अध्यापकों, पंचायत सदस्यों, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरपंच एवं मीणा समुदाय के कुछ सदस्यों के साथ; देहलोद में पंचायत प्रतिनिधियों और सरपंच के साथ तथा निवाई शाखा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ।

पाँचवें दिन की सुबह का उपयोग नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन की दृष्टि से केस अध्ययन की सीख का विश्लेषण कर उसमें से निष्कर्ष प्राप्त करने और रिपोर्ट लिखने में किया गया। अपरान्ह, प्रवर्तक दल द्वारा सिकोईडिकोन के कार्यकर्ताओं के साथ एक डी-ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई और इस अध्ययन के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का एक प्रारूप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अध्याय – II – संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

1. गोवर्धनपुरा

ग्राम गोवर्धनपुरा ग्राम पंचायत देहलोद से उत्तर की ओर तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस छोटी सी बस्ती में मीणा समुदाय के लगभग 35 परिवार रहते हैं। इस गाँव की स्थापना रजवाड़े के दिनों में हुई थी। पहले इसे ढाकादोन का खेड़ा के नाम से जाना जाता था और यह राजपूत शासन के अधीन था। लगभग 70–72 वर्ष पूर्व मीणा समुदाय के चार भाइयों ने यहाँ राजपूतों से 400 बीघा⁶ जमीन खरीदी और इस पर खेती करना आरम्भ किया।

गोवर्धनपुरा में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। कई लोग पशुपालन कार्य में भी लगे हैं। कुछ पुरुष और महिलाएं निकटवर्ती क्षेत्र में नरेगा⁷ के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी पर भी कार्य कर रहे हैं। चूंकि जमीन उपजाऊ है अतः उनकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक है। गाँव में यातायात – आवागमन एवं सम्पर्क हेतु उपयुक्त

⁵ सहभागियों की सूची के लिये कृपया अनुलग्नक II देखें।

⁶ लगभग 100 हैक्टेयर

⁷ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम)

सड़कों का अभाव है। एक पथरीली सड़क निर्माणाधीन है। गाँव वालों ने डामर रोड़ बनाने हेतु अपनी माँग बार-बार प्रशासन के सम्मुख रखी है किन्तु अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिली है।

गाँव में एक प्राथमिक पाठशाला है जहाँ छोटे बच्चे नामांकित है और कक्षा छः से ऊपर के बच्चे पडौस के गाँवो- करेड़ा और देहलोद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में जाते हैं। लोग शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल मुद्दों के बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक हैं। बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों में अच्छी जागरूकता है जो कि मीणा समुदाय के अन्य गाँवों की तुलना में एक विरोधाभास है। यातायात वाहन सुविधा के अभाव के बावजूद भी सभी बच्चे पाँच किलोमीटर तक पैदल चलकर स्कूल जाते हैं जो कि इस गाँव और ग्रामवासियों की उल्लेखनीय विशेषता है। युवा बालिकाएं स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं मासिकधर्म के सम्बन्ध में जानकारी रखती हैं। उनमें आत्मविश्वास है और अपनी बात कहने का सामर्थ्य है। ये सभी बालिकाएं बाल पंचायत की सदस्य हैं।

गाँव का नाम – गोवर्धनपुरा

ग्राम पंचायत – देहलोद

तहसील– निवाई

जिला – टोंक

तहसील मुख्यालय से दूरी – 22 किलोमीटर

जनसंख्या – 185

परिवारों की संख्या – 35

कुल क्षेत्र-400 बीघा (सिंचित क्षेत्र 100 बीघा, गैर सिंचित 250 बीघा, चारागाह भूमि 50 बीघा)

प्रमुख फसलें – रबी –जौ, गेहूँ, चना व सरसों

खरीफ – बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग (हरा चना)

बुनियादी ढांचा – बिजली, प्राथमिक पाठशाला

पेयजल स्रोत – हैण्ड पम्प-3, सार्वजनिक कुआ

अन्य स्रोत – तालाब, पथरीली सड़क, ट्रेक्टर

स्वास्थ्य – एएनएम का नियमित आगमन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है (ग्राम करेड़ा)

प्रमुख आजीविका – कृषि, पशुपालन, मजदूरी

ग्राम सरपंच – श्रीमती सावित्री देवी मीणा

समुदाय संगठन – ग्राम विकास समिति, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह, बाल पंचायत

ग्राम विकास समिति –

अध्यक्ष – श्री प्रहलाद मीणा

सचिव – श्री जमना लाल मीणा

कोषाध्यक्ष – श्रीमती कजोड़ देवी मीणा

उपाध्यक्ष – श्रीमती मनफूली देवी मीणा

बाल पंचायत – लड़किया-7, लड़के- 9

अध्यक्ष – सुश्री गडुल मीणा

सचिव – अनीता मीणा

उपाध्यक्ष – ममता मीणा

6. निवाई में मीणा समुदाय

निवाई तहसील टोंक जिले में स्थित है। इस तहसील में 201 गाँव हैं और 41 ग्राम पंचायतें हैं। प्रखण्ड की कुल जनसंख्या 203340 है जिसमें महिलाओं की जनसंख्या 98609 है। राजपूत, जाट, गूर्जर, मीणा तथा बैरवा यहाँ की प्रमुख जातियाँ हैं। निवाई को एक विशिष्ट प्रकार की परम्परागत, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत मिली है। तथापि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अवसरों के मामले में यहाँ विकास के संकेतन अतिशय निम्न स्तरीय हैं।

इस प्रखण्ड में मीणा समुदाय की कुल जनसंख्या 32245 है। इसमें यदि हम महिलाओं की जनसंख्या अलग करें तो वह 15488 है। कृषि, पशुधन और दैनिक मजदूरी पर कार्य करना उनकी आमदनी के प्रमुख स्रोत हैं। इनमें से कुछ लोग देसी शराब बनाने का काम भी करते हैं। मीणा समुदाय दो उप-समुदायों में बँटा है— जमींदार (लैण्डलार्ड) और चौकीदार। जैसा कि नाम से ही प्रकट है, जमींदार लोग भू-स्वामी हैं और वे खेती करते हैं जबकि चौकीदार परम्परागत रूप से राजपूत-शाही परिवारों के रक्षक गार्ड के रूप में उनकी सेवा करते रहे हैं और चोरियों में भी लिप्त रहे हैं। इन दोनों उप जातियों में परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध नहीं होते और वे परस्पर अधिक मिलते-जुलते भी नहीं हैं।

यदि हम मीणाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो पायेंगे कि यह समुदाय अज्ञानता, महिलाओं की निम्न स्थिति और अनेक अंधविश्वासों तथा सामाजिक बुराईयों में जकड़ा हुआ था जैसे कि बाल विवाह तथा नर प्रथा (एक विधवा की किसी सम्बन्धी के साथ जबरन शादी करा देना) जो महिलाओं के सम्मान को घटाती हैं। गत वर्षों में, प्रखण्ड, जिला तथा राज्य स्तर पर जाति पंचायतों के हस्तक्षेपों के कारण सामाजिक सुधार की अनेक पहल की गईं और अनेक नये तरीके अपनाये गये जिनके परिणामस्वरूप मीणा महिलाओं की सामाजिक पहचान को बढ़ाने में सहायता मिली है और उनमें स्वास्थ्य तथा शिक्षा— विशेषरूप से बालिका

शिक्षा, के महत्व के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। इन पहलों का परिणाम यह भी हुआ है कि नुक्ता (मृत्यु उपरान्त भोज) एवं विवाह संस्कारों में किये जाने वाले अनावश्यक खर्चों में भारी कमी आई है। इसके अलावा, सरकार द्वारा मीणा जाति के लोगों को 12.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जिससे इस समुदाय को अपनी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा महिला शिक्षा को अधिक फैलाने में मदद मिली है।

मीणा लोग निवाई में ही नहीं सारे राजस्थान में राजनैतिक रूप से सक्रिय और शक्ति सम्पन्न हैं। निवाई प्रखण्ड में 10 मीणा सरपंच हैं। इस प्रखण्ड के कांग्रेस दल के अध्यक्ष श्री रामसहाय मीणा हैं। गोवर्धनपुरा गाँव के कुछ लोग जयपुर में कॅटरिंग सेवा में लगे हैं और कुछ सरकारी नौकरियों में हैं। केन्द्रीय सरकार में मंत्री – श्री नमोनारायण मीणा, मीणा समुदाय के प्रतिनिधि हैं। वे टोंक जिले से सांसद चुने गये हैं। टोंक जिला पंचायत की अध्यक्ष सुश्री कल्ली देवी मीणा हैं और वे इसी जाति की हैं।

अध्याय – III – गोवर्धनपुरा की कहानी ⁸

1. परिचय

यह अध्याय उस कहानी को प्रस्तुत करता है कि गोवर्धनपुरा गाँव के लोगों ने अपने गाँव में कैसा व किस प्रकार का बदलाव लाया। यह कहानी गाँव के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक श्री कल्याण जी मीणा द्वारा कही गई है जिसमें गाँव के कई अन्य युवकों तथा वरिष्ठजनों ने अपनी ओर से अतिरिक्त बातें जोड़ी हैं। कहानी का वर्णन पूर्ण हो जाने के पश्चात सहभागियों को अपनी ओर से इसमें जोड़ने का अवसर मिला जिसके पश्चात कहानी का एक संयुक्त विश्लेषण किया गया और अन्त में जो सीख इससे मिली उसे निःसृत किया गया अथवा निष्कर्ष निकाले गये।

2. गोवर्धनपुरा की कहानी

वर्ष 1938 में हम चार भाई एक गाँव में रहते थे जिसका नाम राजधिराजपुरा था जो कि राजस्थान के टोंक जिले में निवाई तहसील का हिस्सा था। हम हिन्दू धर्म की मीणा जाति के लोग हैं। एक बार की बात है गाँव में भारी सूखा पड़ा जिसके कारण उस समय कृषि कार्य करना सम्भव ही नहीं हुआ। इसलिये हम चारों भाईयों ने ढकावों का खेड़ा नामक गाँव में रु. 400 मूल्य पर 400 बीघा (लगभग 100 हैक्टेयर) जमीन खरीदने का निर्णय लिया। उस समय यह गाँव राजपूत समुदाय के अधीनस्थ था। जमीन खरीदने के बाद हम वहाँ रहने लगे और खेती करने लगे और हमने इस गाँव का नाम गोवर्धनपुरा रख दिया।

⁸ यह अध्याय गोवर्धनपुरा में 31 मई, 2010 में सम्पन्न कहानी कथन कार्यशाला की चर्चाओं पर आधारित है। कार्यशाला के प्रवाह अथवा कार्यक्रम के सम्बन्ध में अनुलग्नक 4 का संदर्भ लीजिये।

उन दिनों हमारे समाज में अनेक सामाजिक कुप्रथाएँ प्रचलित थी जैसे बाल विवाह, नुक्ता आदि। वयस्क पुरुषों में से अधिकतर लोग शराब पीने के आदी थे जिसका एक परिणाम यह हुआ कि वर्ष 1941 में समुदाय के पाँच व्यक्तियों की मृत्यु इसी कारण से हो गई। इन साथियों की मृत्यु के बाद, हम अपने मूल गाँव में वापस लौट आये किन्तु दोनों गाँवों के बीच की दूरी के कारण हमें बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। उस अवधि में हम खेती गोवर्धनपुरा में अपनी जमीन पर करते थे किन्तु रहते अपने पुश्तैनी अथवा मूल गाँव में थे। अतः हमारी फसलों की सुरक्षा करने और पशुओं को पालने आदि कार्यों को सम्हालने के लिये हमें लम्बी यात्रा करनी पड़ती थी। उस कठिन समय (संकट काल) में हमें एक धर्म गुरु मिले जिनका नाम कुंज बिहारी बाबा था। उन्होंने हमें शराब से छुटकारा पाने, अधिक जिम्मेदार बनने और धार्मिक जीवन आरम्भ करने की सलाह दी। तदनुसार, उनके निर्देशन में हमने गाँव में हनुमान जी तथा शिवजी का एक मन्दिर बनाया। बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए वर्ष 1942 में पुनः हम गोवर्धनपुरा गाँव में रहने के लिये आ गये।

धार्मिक गुरु द्वारा दिये गये सुझाव/ परामर्श के अनुसार हमने अपने समुदाय में शराब का पूरी तरह निषेध कर दिया। यह हमारे समाज का एक बहुत कठोर निर्णय था। आरम्भ में समाज के कुछ लोगों ने शराब त्यागने से मना कर दिया। धीरे-धीरे पाँच वर्ष की अवधि में हममें से प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः शराब मुक्त हो गया। इसके पश्चात एक अन्य धार्मिक गुरु जिनका नाम कन्ना महाराज था— उन्होंने हमसे समाज की बेहतरी के लिये भजन (भक्तिगीत) आरम्भ करने का सुझाव दिया। आरम्भ में तो, शराब पर प्रतिबन्ध लगाने के पश्चात, समुदाय को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा— मीणा जाति के अन्य समुदायों की ओर से उपेक्षा और विवाह सम्बन्धी कठिनाईयों इनमें सबसे प्रमुख थी किन्तु, कुछ समय बीतने पर हमने इन सभी कठिनाईयों को पार कर लिया और इस प्रकार हम समाज में एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करने में सफल हुए।

गत वर्षों में हमने कृषि, पशुपालन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एक अन्य क्षेत्र जिसमें हमने उल्लेखनीय प्रगति की है वह है शिक्षा। 4 वर्ष से 20 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चे, जिनमें बच्चियाँ भी शामिल हैं, अब स्कूलों में नामांकित हैं। निष्कर्ष रूप में, हम कह सकते हैं कि हमने जीवन के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पहलुओं में महत्वपूर्ण और आशातीत प्रगति की है।

कोष्ठक 1 : गोवर्धनपुरा की कहानी में पणधारियों की मुख्य श्रेणियाँ

जिन्होंने परिवर्तन पर सकारात्मक प्रभाव डाला

- धार्मिक / आध्यात्मिक गुरु (कुंज बिहारी बाबा, भूरेलाल मीणा, आनन्दी लाला महाराज, गंगा लाल पंडित आदि)
- सरकारी अधिकारीगण (पटवारी, ग्राम सेवक आदि)
- सामाजिक कार्यकर्ता
- अन्य जातियाँ (ब्राह्मण, राजपूत)

जिन्होंने परिवर्तन पर नकारात्मक प्रभाव डाला

- सम्बन्धी – रिश्तेदार
- अपने समाज के सदस्य
- पड़ोसी गाँव (राजधिराजपुरा, तुर्किया)

3. विश्लेषण

अ.) बोधात्मक खोज

शराब निषेध और धार्मिक जीवन एवं विचार के प्रति बदलाव ने समुदाय में क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई है। विचार, अभिवृत्ति और उत्तरदायित्व की भावना में बदलाव से समुदाय के सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ा है। इस परिवर्तन का मुख्य प्रभाव समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन में दिखाई देने लगा है। चूंकि लोग खेतों में अधिक समय बिताने लगे हैं अतः खेती और पशुधन के उत्पादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। समुदाय का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का सम्मान करने लगा है, युवा पीढ़ी बुजुर्गों का आदर करती है। उन्हें पड़ोस के गाँवों में अधिक सम्मान मिलने लगा है। यहाँ तक कि बाह्मण भी सामाजिक पर्वों और अन्य अवसरों पर उनके घर पर आने लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षा पर पड़ा क्योंकि बच्चे, विशेषरूप से लड़कियाँ, स्कूल जाने लगी हैं। छात्रों में अनुशासन और नियमितता बढ़ी है। अब इस गाँव से बच्चों का स्कूलों में नामांकन शत प्रतिशत हो गया है और पढ़ाई बीच में छोड़कर चले जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है लिंग भेद और असमानता इस गाँव से अब लगभग लुप्त हो गई है। इस गाँव की लड़कियों की अन्य गाँवों में शादी हो जाने पर वहाँ भी ऐसा ही सकारात्मक बदलाव लाने के लिये वे उन लोगों को इसी प्रकार की जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित करती हैं। कुछ लड़कियों का विवाह अच्छे और जाने माने परिवारों में हुआ है। विगत समय की तुलना में सरकारी कार्मिक गाँव वालों को अब सकारात्मक उत्तर देने लगे हैं। सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे कि बाल विवाह, नुक्ता (मृत्युभोज) आदि अब पूर्णतः समाप्त हो गई है। स्कूल विकास एवं प्रबन्धन समिति अब पूरी तरह सक्रिय हो गई है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद समुदाय के कुछ युवकों को सरकारी नौकरियाँ मिल गई हैं और वे भली-भाँति व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने संस्थागत जनन तथा बाल टीकाकरण का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और लोग परिवार नियोजन के तरीके अपना रहे हैं।

इस प्रकार समुदाय के सदस्यों में स्वास्थ्य और स्वच्छता सम्बन्धी सुधार स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यह समुदाय संगठित हो गया है।

ब.) गम्भीर आंकलन

मद्य निषेध और धार्मिक जीवन की ओर मुड़ने से कुछ समस्याएं पैदा हुईं, विशेषरूप से आरम्भिक चरण में। समुदाय के लोगों को विवाह से सम्बन्धित समस्या का सामना करना पड़ा क्योंकि अन्य मीणा समुदाय जो कि नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं उन्होंने अपने समुदाय में यहाँ के लोगों से शादी करने की अनुमति नहीं दी। इसी तरह, इस गाँव के लोग भी अपनी बेटियों का विवाह शराब पीने के आदी परिवारों में करने में अनिच्छुक थे। आरम्भ के वर्षों में इन्हें मीणा समुदाय में निचला स्तर दिया गया। दूसरे गाँवों के लोग उन्हें आर्थिकरूप से पिछड़ा मानते थे। इस गाँव के बच्चों को दूसरे गाँवों के बच्चों द्वारा ब्राह्मण कहकर चिढ़ाया जाता था।

4. प्रमुख सीख

यह कहानी यह दर्शाती है कि किसी भी समुदाय के विकास एवं बदलाव के लिये यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें सामाजिक बुराइयों से मुक्ति दिलाई जाये। इससे समुदाय की जागरूकता और आत्मचेतना में सुधार लाया जा सकता है जो कि किसी भी समाज अथवा समुदाय में बदलाव लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस प्रयास के अन्तर्गत समुदाय के परिवर्तन और विकास के लिये प्रभावी नेतृत्व के महत्व की पहचान होती है। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया सिखाती है कि लिंग भेदभाव किसी भी समाज के लिये ठीक नहीं हैं। अन्य जातियों के साथ सामाजिक सौहार्द भी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक विकास लाने हेतु शिक्षा के महत्व को भी मान्यता मिलती है।

अध्याय – IV – नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन के दृष्टिकोण से प्राप्त सीख के निष्कर्ष

पिछले अध्याय में गोवर्धनपुरा की कहानी का संयुक्त अथवा मिलाजुला विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस विश्लेषण और त्रिकोणात्मक आँकड़ों से जुड़ी प्रवृत्तियों, जो कि अध्ययन दल द्वारा सम्पादित की गईं, इन सबके आधार पर इस अध्याय में नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन की दृष्टि से कुछ उच्चाकार सीखें निःसृजित की गईं हैं जिससे कि इन सीखों अथवा पाठों का ऐसे ही समूहों एवं ऐसी ही स्थितियों में अनुप्रयोग किया जा सकेगा जैसी कि गोवर्धनपुरा में थी।

1. **गाँव के समानधर्मी लक्षण परिवर्तन प्रक्रिया में सहायक होते हैं—** केवल एक परिवार, जो कि बाहमण जाति का है, उसे छोड़कर सारे गाँव में केवल मीणा जाति के ही सदस्य। इस ब्राह्मण परिवार को भी स्वयं मीणा जाति के लोग धार्मिक अनुष्ठानों को सम्पन्न कराने और मन्दिरों को संचालित करने हेतु लाये थे। इस छोटे से अपवाद के अतिरिक्त सारा का सारा गाँव केवल एक विशेष जाति समूह के

लोगों का आवास है जो कि मीणा है। गाँव का यह समानधर्मी चरित्र गाँव में परिवर्तन को लागू करने और इसे बनाये रखने में एक सहायतापूर्ण चालक सिद्ध हुआ है। पड़ोस के अन्य गाँव जहाँ मिश्रित जाति समूह हैं वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग सार्वजनिक अथवा साझा मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे गाँवों में जाति समूहों के मध्य विरोध और कलह भी साझा परिवर्तन सम्बन्धी कार्यसूची को लागू करने में बाधक होते हैं।

2. एक वंचित जाति/जनजाति समूह में एकरूपता परिवर्तन संचालन को मजबूती प्रदान करती है –

मीणा अनुसूचित जन जाति है जो कि इस बात का संकेतक है कि अन्य जाति समूहों की अपेक्षा उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर नीचा है। परम्परागत रूप से, मीणा जाति के सदस्य रक्षक (गार्ड्स) अथवा चौकीदार का कार्य करते रहे हैं। किन्तु समय के बदलाव के साथ मीणा जाति के लोगों ने सामाजिक व्यवस्था में ऐसे कार्यों-व्यवसायों को छोड़ दिया। कुछ मीणा सदस्य अपराध वृत्तियों में लिप्त हो गये जैसे कि डकैती। इससे मीणाओं के बारे में समाज का सामान्य दृष्टिकोण एक अलग ही प्रकार का हो गया। सामाजिक रूप से एक छोर पर चले जाने, वंचित हो जाने और अपने जाति संबन्धी व्यक्तित्व पर धब्बा लग जाने से मीणा समुदाय एक अत्यधिकरूप से परस्पर गुंफित जाति समूह बन गया। इस जाति की इस प्रकार की एकरूपता उनके अनेक सामूहिक व्यवहारों तथा कार्यों में प्रतिबिंबित होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कहानी में सम्पन्न परिवर्तन की प्रक्रिया को समूह की इस एकरूपता से पर्याप्त पोषण मिला है।

3. परस्पर संबन्धों के नेटवर्क्स परिवर्तन प्रक्रिया में सर्वसम्मति के निर्माण को आसान बनाते हैं—

गोवर्धनपुरा गाँव उभर कर तब सामने आया अथवा प्रकट हुआ जब चार भाईयों (और उनके परिवारों) ने जमीन खरीदी और यहां आ गये। अन्य ग्रामों से यहाँ कोई आवजन नहीं हुआ। चार भाईयों के परिवारों के साथ गांव धीरे-धीरे बढ़ता-फैलता गया। इससे गाँव में एक मजबूत पारिवारिक ढाँचा और नेटवर्क खड़ा हो गया। गाँव का स्थापत्य शिल्प इस सामाजिक ढाँचे का प्रतिबिंब है। अनेक आवासों के निर्माण ने एक सामूहिक रूप ग्रहण कर लिया है। इन मकानों के डिज़ाइन कुछ ऐसे हैं कि लगभग चार उप घर आम क्षेत्र को साथ मिलाकर आवास के लिये व एक वृहतर भवन का निर्माण करते हैं। सम्बन्धियों के परस्पर जुड़े ढाँचे और नेटवर्क समुदाय को एक मजबूत एकजुटता प्रदान करते हैं जो कि परिवर्तन की प्रक्रिया और इसके प्रति प्रतिबद्धता के बारे में सहमति हेतु सर्वसम्मति का निर्माण करने में सहायक होती है।

4. परिवर्तन तभी दीर्घजीवी होता है जब शक्ति विभाजक तत्व कम होते हैं—

जो चार भाई आरम्भ में गोवर्धनपुरा गाँव में आये, वे स्वयं यहाँ की भूमि के मालिक थे। बाद में परिवार—वृद्धि वंश वृद्धि के साथ—साथ जमीन बंटती चली गई। इस तरह भूमि के स्वामित्व में कोई बड़ा अन्तर नहीं आया। गोवर्धनपुरा गाँव के लोगों की आय और आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है जो कि उनके स्वामित्व के अन्तर्गत आने वाली भूमि की सीमा पर आधारित है। हालांकि सामाजिक स्तर की दृष्टि से शक्ति सम्पन्नता में यहाँ अन्तर पाया गया है किन्तु आर्थिक शक्ति से सम्बन्धित अन्तराल मामूली अथवा महत्वहीन ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थिति से परिवर्तन प्रक्रिया के दीर्घजीवी होने में सहायता मिली है। विभिन्न शक्ति सम्बन्धी हितों और आग्रहों से जनित लोगों को भिन्न—भिन्न हित आमतौर पर परिवर्तन प्रक्रिया को जटिल बना देते हैं। अक्सर इस तरह की स्थितियाँ परिवर्तन प्रक्रिया में रूकावट पैदा करती हैं अथवा इसकी गति को धीमा कर देती हैं। किन्तु गोवर्धनपुरा गाँव के मामले में ऐसी स्थिति नहीं रही।

5. धर्म और धार्मिक मूल्य परिवर्तन प्रक्रिया के लिये एक मजबूत चालक और संवर्धन बिन्दु है:—

गोवर्धनपुरा गाँव में लोग जिन सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे थे उनके बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु गाँव के वरिष्ठ जनों द्वारा जो कार्यनीति अपनाई गई वह थी लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव लाना। उद्देश्य की प्राप्ति के लिये, उस तरह के व्यवहारों का मुकाबला करने हेतु जो कि सम्बन्धित व्यक्तियों और सामान्य रूप से पूरे गाँव के हित के विपरीत थे— उन वरिष्ठ लोगों ने धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उपयोग किया। दूसरे शब्दों में इस मामले में नागरिक मूल्य और समाज के आधारभूत नियम धार्मिक मूल्यों से लिये गये। भारतीय समाज में आम नागरिक के व्यवहार को एक स्वस्थ आकार देने में धर्म और धार्मिक मूल्य प्रमुख कारक अथवा तत्व रहे हैं। इस प्रकार जिन लोगों ने परिवर्तन की प्रक्रिया को वाहक के रूप में संचालित किया और जो इस प्रक्रिया में सामूहिक एकता के केन्द्र रहे, उन लोगों ने बदलाव लाने हेतु धार्मिक उपदेशों और मूल्यों का उपयोग करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।

6. एक गंभीर और महत्वपूर्ण घटना जो नियंत्रण से बाहर है वह परिवर्तन का शुभारंभ करती है —

शराब का अधिक उपयोग करने के कारण गाँव में कुछ असामयिक मृत्यु की घटनाएं हुईं। गोवर्धनपुरा जैसे छोटे से गाँव में यह एक असामान्य घटना थी। असमय मृत्यु की इस घटना का झटका और इसकी भयावहता एक ऐसा कारण बना जिसने लोगों को मद्यपान की लत के खतरों के बारे में सोचने पर विवश कर दिया। इस प्रकार की अनुभूति से मद्यपान के सम्बन्ध में उनकी मानसिकता में बदलाव आया। धीरे—धीरे, मद्यपान में कमी आती गई और कुछ समय बाद यह पूर्णतः समाप्त हो गया। इस मामले में कुछ घटनाओं की गंभीरता और भयावहता ने अन्य कारकों के साथ मिलकर परिवर्तन लाने हेतु एक ठोस प्रभाव उत्पन्न किया।

7. **नागरिक सामाजिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण, परिवर्तन को आत्मसात करने और इसे दीर्घजीवी बनाने में सहायक होता है—**

मद्यपान सम्बन्धी व्यवहार में बदलाव आने में कुछ समय लगा। किन्तु जिन्होंने इस बदलाव को लाने में अगुवाई की उन्होंने अपने प्रयासों को यहीं तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने अनुभव को युवा पीढ़ी तक पहुँचाने का प्रयास किया। धार्मिक गतिविधियाँ उसी उत्साह के साथ चलती रहीं जैसे कि पहले चलती थी। दूसरे शब्दों में, वरिष्ठ लोगों ने अपने अनुभव और मूल्यों को युवा पीढ़ी तक पहुँचाया। गाँव से जो साक्ष्य प्राप्त हुई और जिसकी पुष्टि दूसरे गाँवों के लोगों द्वारा भी की गई उससे यह जानकारी मिली कि गोवर्धनपुरा में युवा पीढ़ी शराब का सेवन नहीं करती। इस प्रकार युवा पीढ़ी को जीवन मूल्यों के हस्तांतरण सम्बन्धी वरिष्ठ जनो के प्रयास सफल हुए। युवा पीढ़ी ने इन मूल्यों को आत्मसात कर लिया। इस मायने में परिवर्तन का प्रभाव दीर्घावधि का रहा है।

8. **बदलाव की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिये प्रभावी, पूरक और साझा नेतृत्व महत्वपूर्ण है—**

जिस प्रकार का नेतृत्व मॉडल गोवर्धनपुरा में देखा गया वह अपने आप में विशिष्ट है। यहाँ कोई एक व्यक्ति नेता नहीं था। इसकी बजाय कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने गोवर्धनपुरा के ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं का नेतृत्व किया। मीणा समुदाय का प्रत्येक गाँव में एक नेता होता है। वहाँ परम्परा के अनुसार नेता नियुक्त किया जाता है और वही मीणा जाति के हितों की देखभाल करता है। यह नेता परिवारों के आपसी विवादों—झगड़ों को सुलझाता है। ग्राम विकास समिति जो कि गाँव के सामान्य विकास कार्यों में समन्वय करती है और गाँव के लिये समर्थन जुटाती है, इसके नेतृत्व का एक अलग ही समूह है। धरातल स्तरीय स्वशासन तंत्र जिसे पंचायतीराज कहते हैं और जो कि सरकार के साथ समन्वय करता है, उसका भी एक अन्य प्रकार का नेतृत्व होता है। गोवर्धनपुरा के मॉडल की अनोखी नेतृत्व शैली ऐसी है जिसके अन्तर्गत ये विभिन्न प्रकार के नेतृत्व सौहार्दपूर्ण ढंग से एक साथ मिलकर सामान्य मुद्दों पर काम करते रहे हैं। यह नेतृत्व शैली और मॉडल परस्पर पूरक और साझा प्रतीत होता है। यह एक ऐसा कारक सिद्ध हुआ है जिसने परिवर्तन प्रक्रिया को सुगमतापूर्वक आगे बढ़ाया है।

9. **परिवर्तन बहु आयामी रूप (चरित्र) ग्रहण करते हुए परिवर्तनों की श्रृंखला की ओर ले जाता है—**

शराबखोरी और उत्सवों/समारोहों पर अत्यधिक पैसा खर्च करने के प्रतिमान या तौर तरीकों में बदलाव ने अन्य कई परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त किया है। अपने बच्चों को स्कूल भेजने में अभिभावकों द्वारा उल्लेखनीय रुचि दिखाई जा रही है। अध्यापकों के अनुसार पड़ोस के अन्य गाँवों की तुलना में गोवर्धनपुरा गाँव के स्कूल में नामांकन का अनुपात (प्रतिशत) अधिक है। बीच में स्कूल की पढाई छोड़ने की दर बहुत कम है। छोटे बच्चे गाँव के प्राथमिक स्कूल में ही जाते हैं और माध्यमिक शिक्षा स्तर के

छात्र 5 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल में पढ़ते हैं। गाँव के लोग मद्यपान निषेध को (शराब पीना बन्द करने को) उनकी जीवन शैली में परिवर्तन का मुख्य कारण मानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि इसी ने उनका ध्यान बच्चों की खुशहाली और उनकी शिक्षा की ओर आकर्षित किया है।

10. एक संदर्भ से दूसरे तक परिवर्तन का प्रतिष्ठापन आसान नहीं है –

गोवर्धनपुरा के आसपास चारों ओर अन्य कई मीणा बहुल गाँव हैं। दूसरे गाँवों के लोगों, सरकारी अधिकारियों और पंचायत सदस्यों के साथ हुई बैठकों और सघन समूह चर्चाओं से यह मुद्दा (प्रश्न) उभर कर सामने आया है कि क्या परिवर्तन को प्रतिष्ठापित (अन्य स्थानों में लागू) किया जा सकता है। पड़ोस के गाँवों में भी अधिक शराब पीने की आदत को कम करने और इसे हतोत्साहित करने के प्रयास हुए हैं किन्तु ये प्रयास बहुत सफल नहीं हो सके। चर्चाओं में जो मुख्य सीख उभर कर सामने आयी वह यह थी कि प्रतिष्ठापन कोई आसान बात या काम नहीं है। इसका कारण यह है कि गोवर्धनपुरा में कुछ ऐसी खास संदर्भपूर्ण विशेषताएं हैं जो अन्य गाँवों में नहीं हैं। अतः परिवर्तन की प्रक्रिया में संदर्भ का खास महत्व है।

अनुलग्नक – 1 क्रियात्मक शिक्षण केस अध्ययन गोवर्धनपुरा (राज0) का दैनिक कार्यक्रम

मई 29 – जून 02, 2010

शनिवार, मई 29	'स्वराज' जयपुर में आमुखीकरण एवं तैयारी बैठक; सिकोर्डिकोन कार्यकर्ताओं का सीडीसी, क्रियात्मक अनुसंधान एवं कहानी कथन पर आमुखीकरण; सिकोर्डिकोन कार्यकर्ताओं के साथ कहानी कथन कार्यशाला की योजना बनाना, त्रिभुजीकरण एवं साक्षात्कारों का कार्यक्रम तैयार करने हेतु विभिन्न स्रोतों की पहचान।
रविवार, मई 30	गोवर्धनपुरा गाँव का दौरा, एडीटी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम के आयोजन के बारे में आरम्भिक चर्चा
सोमवार, मई 31	गोवर्धनपुरा में कहानी कथन कार्यशाला (09.30–13.00 बजे); कान्टेक्स्ट एवं सिकोर्डिकोन कार्यकर्ताओं द्वारा कहानी कथन कार्यशाला पर मंथन एवं अगले दिन की योजना
मंगलवार, जून 01	करेड़ा, देहलोद और निवाई का त्रिकोणात्मक दौरा, जो कुछ हुआ उसका पुर्नआंकलन; दस्तावेजीकरण और नागरिक प्रवर्तित – परिवर्तन के सम्बन्ध में सीखे गये पाठों के बारे में गहन चर्चा।
बुधवार, जून 02	नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन के सम्बन्ध में सीखे गये पाठों का निष्कर्ष प्राप्त करना; प्रतिवेदन लेखन (रिपोर्ट राइटिंग); सिकोर्डिकोन कार्यकर्ताओं के साथ अन्तिम डी बीफ़िंग सत्र

अनुलग्नक – II उत्तरदाताओं की सूची

कहानी कथन अभ्यास में सहभागी लोग

क्रमांक	नाम	लिंग	प्रतिनिधित्व	पद
1.	गीता	महिला	बाल पंचायत	सदस्य
2	रेखा	महिला	बाल पंचायत	सदस्य
3	सोनी	महिला	बाल पंचायत	सदस्य
4	अनिता	महिला	बाल पंचायत	सदस्य
5	सीता	महिला	बाल पंचायत	सदस्य
6	रेशमी	महिला	बाल पंचायत	सदस्य
7	राजेन्द्र	पुरुष	बाल पंचायत	सदस्य
8	महेश	पुरुष	बाल पंचायत	सदस्य
9	रामकिशन	पुरुष	बाल पंचायत	सदस्य
10	राजाराम	पुरुष	बाल पंचायत	सदस्य
11	सत्यनारायण	पुरुष	बाल पंचायत	सदस्य
12	रोशन	पुरुष	बाल पंचायत	सदस्य
13	महेन्द्र	पुरुष	बाल पंचायत	सदस्य
14	राजेश	पुरुष	बाल पंचायत	सदस्य
15	दयाराम	पुरुष	बाल पंचायत	सदस्य
16	कालूराम	पुरुष	बाल पंचायत	सदस्य
17	बुधराम	पुरुष	युवा	सदस्य
18	जमनालाल	पुरुष	ग्राम विकास समिति	वार्ड पंच एवं सचिव
19	फेलेराम	पुरुष	ग्राम विकास समिति	सदस्य
20	श्रृवण	पुरुष	ग्राम विकास समिति	सदस्य
21	धन्नालाल	पुरुष	ग्राम विकास समिति	सदस्य
22	रामरतन	पुरुष	ग्राम विकास समिति	सदस्य
23	छाजूलाल	पुरुष	ग्राम विकास समिति	अध्यक्ष-मंदिर समिति
24	प्रहलाद	पुरुष	ग्राम विकास समिति	अध्यक्ष
25	कन्हैयालाल	पुरुष	ग्राम विकास समिति	मंदिर समिति
26	कल्याण	पुरुष	ग्राम विकास समिति	कहानी कहने वाला
27	ममता	महिला	युवा	
28	अनिता	महिला	युवा	
29	गडूल	पुरुष	बाल पंचायत	अध्यक्ष
30	रामकिशन	पुरुष	ग्राम विकास समिति	सदस्य
31	छीतर	पुरुष	ग्राम विकास समिति	सदस्य
32	ममता	महिला	युवा	सदस्य
33	रामसुख	पुरुष	ग्राम विकास समिति	सदस्य
34	छाजूलाल	पुरुष	ग्राम विकास समिति	सदस्य
35	जगन्नाथ	पुरुष	जाति पंचायत	सदस्य
36	रंगलाल	पुरुष	ग्राम विकास समिति	सदस्य
37	राजेश	पुरुष	युवा	सदस्य
38	सीता	महिला	बाल पंचायत	सदस्य
39	लाली	महिला	बाल पंचायत	सदस्य

40	सुमन	महिला	बाल पंचायत	सदस्य
41	राजेन्ती	महिला	ग्राम विकास समिति	वार्ड पंच
42	सांवली देवी	महिला	महिला समिति	वार्ड पंच
43	छोटी देवी	महिला	महिला समिति	वार्ड पंच
44	नन्दू देवी	महिला	महिला समिति	वार्ड पंच
45	रामकन्हैया	पुरुष		वार्ड पंच
46	सुनिता देवी	महिला	महिला समिति	वार्ड पंच
47	मनफूली देवी	महिला	ग्राम विकास समिति	कोषाध्यक्ष
48	भुरी देवी	महिला	महिला समिति	सदस्य
49	केशर देवी	महिला	महिला समिति	सदस्य
50	सांवली देवी	महिला	महिला समिति	सदस्य
51	बाछी देवी	महिला	महिला समिति	सदस्य
52	काली देवी	महिला	महिला समिति	सदस्य
53	जेना देवी	महिला	महिला समिति	सदस्य

अनुलग्नक – III त्रिकोणात्मकता हेतु मिले पणधारियों की सूची

सघन समूह चर्चा, पंचायत समिति : करेड़ा

क्रम संख्या	नाम	पद / स्थिति
1	गोपीलाल जाट	प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक पाठशाला, गोवर्धनपुरा
2	हनुमान प्रसाद जाट	अध्यक्ष, ग्राम विकास समिति, ग्राम नांगल नरहर
3	जगदीश लाल जाट	सचिव, ग्राम सेवा सहकारी समिति, करेड़ा
4	हनुमान मीणा	करेड़ा सरपंच के पति
5	ढोली देवी मीणा	सरपंच, करेड़ा
6	राजेश चौधरी	पूर्व सरपंच, करेड़ा
7	राधेश्याम चौधरी	उप सरपंच, करेड़ा
8	गोवर्धन कुमावत	सहायक सचिव
9	कानाराम कुमावत	कृषक
10	सुनीता चौधरी	एएनएम

गहन समूह चर्चा, पंचायत समिति: देहलोद

क्रम संख्या	नाम	पद / स्थिति
1	श्योंजीराम जाट	पूर्व सरपंच
2	गिरीराज मीणा	सरपंच के पति
3	केदारमल जाट	
4	सावित्री देवी	सरपंच, देहलोद
5	जमना लाल मीणा	वार्ड सदस्य

गहन समूह चर्चा, निवाई शाखा कार्यालय, सिकोईडिकोन

क्रम संख्या	नाम	पद / स्थिति
1	गिरवर सिंह	शाखा प्रभारी
2	रमेश शर्मा	समन्वयक
3	अर्जुन लाल	विशेषज्ञ
4	विनोद कुमार शर्मा	विशेषज्ञ
5	किशन लाल जाट	समन्वयक

अनुलग्नक – IV कहानी कथन कार्यशाला का प्रवाह/प्रगति

गोवर्धनपुरा में मई 31, 2010 को आयोजित कहानी कथन कार्यशाला का कार्यक्रम

क्रम संख्या	कार्यक्रम	समय
1	स्वागत स्व: परिचय उद्देश्य कार्य के नियम	09.00-09.30
2	कहानी कथन कहानी में अतिरिक्त योगदान प्रश्न और चर्चा	09.30-10.00
3	समूह अभ्यास: पणधारीगण जिन्होंने कहानी को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित किया	10.00-10.30
4	कहानी पर ड्राइंग/ पोस्टर बनाना	10.30-11.00
5	समूह अभ्यास : क्या ठीक तरह चला? क्यों? क्या गलत हुआ? बाधाएं जो सामने आईं? क्यों?	11.00-11.30
6	कहानी से प्राप्त सीख	11.30-12.00
7	धन्यवाद ज्ञापन समापन	12.00-12.30